भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 69
सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक)

बेरोजगार युवाओं हेतु कार्यक्रम

69. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान झारखंड सहित संपूर्ण देश में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण और शहरी युवाओं सहित बेरोजगार व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने और देश के सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का देश में, विशेषकर झारखंड में बढ़ती बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (घ): राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2020, 2021 और 2022 के दौरान रोजगार कार्यालयों में अपना पंजीकरण कराने वाले, रोजगार चाहने वालों (रोज़गार/बेरोजगार) की संख्या क्रमशः 20.74 लाख, 32.24 लाख और 39.97 लाख थी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** पर हैं।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने झारखंड सहित देश भर में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), आदि। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 22.07.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 69 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

देश में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार संख्या

(हजारों की संख्या में)

क्र.सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र**	**2022**	**2021**	**2020**
1	आंध्र प्रदेश	11.2	15.20	15.0
2	अरुणाचल प्रदेश	59.0	0.8	1.5
3	असम	202.6	124.10	192.6
4	बिहार	222.4	2.60	7.9
5	छत्तीसगढ	330.9	313.40	93.3
6	गोवा	17.2	53.00	0.0
7	गुजरात	334.1	319.50	190.5
8	हरियाणा	131.1	135.70	53.1
9	हिमाचल प्रदेश	50.7	128.80	56.5
10	जम्मू एवं कश्मीर	54.2	4.60	1.1
11	झारखंड	35.6	16.85	151.7
12	कर्नाटक	57.7	20.40	12.5
13	केरल	513.6	326.30	115.7
14	मध्य प्रदेश	2.8	14.90	105.0
15	महाराष्ट्र	487.4	308.56	143.7
16	मणिपुर	30.0	12.37	7.6
17	मेघालय	3.1	4.08	3.0
18	मिजोरम	8.8	0.22	0.4
19	नागालैंड	6.6	8.53	12.5
20	ओडिशा	168.6	60.73	14.6
21	पंजाब	55.4	17.31	13.2
22	राजस्थान	156.1	52.25	48.0
23	तमिलनाडु	484.9	860.62	478.2
24	तेलंगाना	32.1	43.28	25.9
25	उत्तराखंड	108.8	131.42	68.5
26	उत्तर प्रदेश	400.8	323.79	250.0
27	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	14.4	0.00	0.0
28	चंडीगढ़	1.4	1.15	1.1
29	पुडुचेरी	14.5	18.87	2.1
30	लद्दाख	0.7	1.15	0.0
	कुल	**3996.7**	**3324.36**	**2074.0**

स्रोत: राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कुछ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने डेटा उपलब्ध नहीं कराया है।